भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 217

दिनांक 02.02.2021/13 माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं की सुरक्षा

†217. श्री शिशिर कुमार अधिकारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार की विभिन्न कार्ययोजना के बावजूद, देश में बलात्कार के मामलों में कोई सतत सुधार अथवा कमी नहीं आई है और महिलाओं के विरुद्ध अपराध् में 2017 की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि बलात्कार हेतु दोष सिद्धि दर वर्ष 2018 में मात्र 27 प्रतिशत थी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) राष्ट्रीय महिला सुरक्षा मिशन के भाग के रूप में स्थापित किए जा रहे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्टस की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य-वार लंबित मामलों की संख्या क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की जांच और अभियोजन सहित कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जान और माल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें विधि के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सूचना संकलित करता है और इसे अपने प्रकाशन "क्राइम-इन-इंडिया" में प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2019 तक की उपलब्ध हैं। वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि के दौरान बलात्कार (भारतीय दंड संहिता की धारा 376) के अंतर्गत पंजीकृत मामलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार ब्यौरे से इसमें कोई एक समान प्रवृत्ति नजर नहीं आती है। वर्ष 2017 से 2019 तक की अवधि के दौरान बलात्कार के मामलों में दोषसिद्धि की दर से भी अखिल भारत और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दोनों के संबंध में एक समान प्रवृत्ति नजर नहीं आती है।

लो.स. अता. प्र.सं.217

(घ) न्याय विभाग ने बलात्कार से संबंधित लंबित मामलों और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दर्ज मामलों के शीघ्र विचारण और निपटान के लिए पूरे देश में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना करने हेतु एक केंद्र प्रायोजित स्कीम अनुमोदित की है। 331 पॉक्सो न्यायालयों सहित कुल 609 एफटीएससी कार्य कर रहे हैं।

(ङ) एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया 2019 के अनुसार, पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जांच के लिए लंबित मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है। अपराध शीर्ष बलात्कार/सामूहिक-बलात्कार के साथ हत्या, बलात्कार और महिलाओं का अपमान करने के इरादे से उन पर हमले के अंतर्गत जांच के लिए लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या अनुलग्नक-।। में दी गई है।

******

लो.सं.अता.प्र.सं. 217 दिनांक 02.02.2021

अनुलग्नक-I

वर्ष 2019 के दौरान लैंगिक अपराधों से बालकों कासंरक्षण अधिनियम(पॉक्सो) (कुल) के अंतर्गत वर्ष के अंत में जांच के लिए लंबित मामलों (सीपीआईई) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019
1	आंध्र प्रदेश	654
2	अरुणाचल प्रदेश	20
3	असम	1321
4	बिहार	1505
5	छत्तीसगढ़	266
6	गोवा	0
7	गुजरात	170
8	हरियाणा	204
9	हिमाचल प्रदेश	11
10	जम्मू और कश्मीर*	26
11	झारखंड	514
12	कर्नाटक	495
13	केरल	916
14	मध्य प्रदेश	293
15	महाराष्ट्र	4269
16	मणिपुर	90
17	मेघालय	306
18	मिजोरम	6
19	नागालैंड	2
20	ओडिशा	866
21	पंजाब	315
22	राजस्थान	44
23	सिक्किम	8
24	तमिलनाडु	943
25	तेलंगाना	1715
26	त्रिपुरा	35
27	उत्तर प्रदेश	1734
28	उत्तराखंड	151
29	पश्चिम बंगाल	946
	कुल (राज्य)	**17825**
30	अंडमानएवंनिकोबार द्वीपसमूह	6
31	चंडीगढ़	1
32	दादराएवंनगरहवेली**	5
33	दमणएवंदीव**	7
34	दिल्ली	1490
35	लक्षद्वीप	17
36	पुदुचेरी	41
	कुल (संघ राज्यक्षेत्र)	**1567**
	कुल (अखिल भारत)	**19392**

स्रोतः भारत में अपराध

* अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

** अब दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र कर दिया गया है।

लो.सं.अता.प्र.सं. 217 दिनांक 02.02.2021

अनुलग्नक-।।

वर्ष 2019 के दौरान बलात्कार/सामूहिक-बलात्कार के साथ हत्या, बलात्कार और महिलाओं का अपमान करने के इरादे से उन पर हमले के अंतर्गत वर्ष के अंत तक जांच के लिए लंबित मामलों (सीपीआईईवाई) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार/सामूहिक बलात्कार से साथ हत्या	बलात्कार	महिलाओं का अपमान करने के इरादे से उन पर हमला
1	आंध्र प्रदेश	6	1143	2620
2	अरुणाचल प्रदेश	1	67	82
3	असम	49	2888	3447
4	बिहार	4	502	206
5	छत्तीसगढ़	0	308	127
6	गोवा	0	13	44
7	गुजरात	0	59	64
8	हरियाणा	5	306	381
9	हिमाचल प्रदेश	8	70	109
10	जम्मू और कश्मीर	0	153	578
11	झारखंड	8	1300	1330
12	कर्नाटक	8	155	1804
13	केरल	3	1621	1799
14	मध्य प्रदेश	9	309	256
15	महाराष्ट्र	13	1229	6595
16	मणिपुर	0	257	288
17	मेघालय	8	148	138
18	मिजोरम	1	5	4
19	नागालैंड	0	2	1
20	ओडिशा	3	677	4379
21	पंजाब	1	356	912
22	राजस्थान	1	737	501
23	सिक्किम	0	5	13
24	तमिलनाडु	6	281	832
25	तेलंगाना	10	782	2469
26	त्रिपुरा	0	34	41
27	उत्तर प्रदेश	4	532	1905
28	उत्तराखंड	0	213	283
29	पश्चिम बंगाल	3	378	1168
	कुल (राज्य)	**151**	**14530**	**32376**
30	अंडमानएवंनिकोबार द्वीपसमूह	0	1	4
31	चंडीगढ़	0	62	54
32	दादराएवंनगरहवेली	0	0	2
33	दमणएवंदीव	1	2	6
34	दिल्ली	12	354	2634
35	लक्षद्वीप	0	7	9
36	पुदुचेरी	3	5	3
	कुल (संघ राज्यक्षेत्र)	**16**	**431**	**2712**
	कुल (अखिल भारत)	**167**	**14961**	**35088**

स्रोतः भारत में अपराध

नोटः पश्चिम बंगाल से वर्ष 2019 केआंकड़े प्राप्त न होने के कारण, वर्ष 2018 के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़े का प्रयोग किया गया है।

* अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र

** अब दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र कर दिया गया है।

******